Net

प्रेषक

निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा,
पचंकूला।

सेवा में

निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, गुरूग्राम।
सभी जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य।
सभी मौलिक शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य।
सभी प्राचार्य, डाईट/गैटी/बैटी, हरियाणा राज्य।

यादी कमांक 13/174–2017 एच0आर0एम0ई0 (6)
दिंनाक, पचंकूला 21\2\18

विषयः– CWP No. 20160 of 2017 Sh. Rajesh Sharma V/s State of Haryana.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको निर्देश दिये जाते है कि अपने–2 जिले/संस्थान के अधीन लैब सहायकों/सीनियर लैब सहायकों से सम्बन्धित सूचना विद्यालयवार/संस्था/कार्यालयवार कुल स्वीकृत पद, कुल भरे हुए पद, कुल रिक्त पदों बारे रिपोर्ट अपने स्तर पर विद्यालयवार/संस्था/कार्यालयवार संकलित करके दो दिन के अन्दर–2 इस निदेशालय की ई–मेल (hrmebranch@gmail.com) पर हर अवस्था में डलवाना सुनिश्चित किया जाये ताकि समय रहते माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना की जा सके।

इसके अतिरिक्त आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो सूचना आप द्वारा निदेशालय में भेजी जा रही है वह तथ्यों पर आधारित है और सही है। यदि बाद में किसी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होता है तो इसकी जिम्मेवारी पूर्ण तौर पर आपकी होगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशालय स्तर से कुछ लैब सहायक जोकि पूर्व में क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा surplus दिखाये गये थे, उनको लिपिक के पद के विरूद्व केवल समायोजित किया गया था। इसलिए ऐसे सभी कर्मचारियों को एल0ए0 के पद पर ही समझते हुए स्पष्ट सूचना रिकार्ड के आधार पर भेजें।

अतः आपसे अनुरोध है कि यदि उक्त सूचना किसी भी संस्था/कार्यालय से समय रहते निदेशालय में प्राप्त नहीं होती है और मामले में माननीय न्यायालय किसी प्रकार का विपरीत आदेश पारित करता है तो इसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से सम्बन्धित संस्था/कार्यालय के मुखिया की होगी और वह नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र समझा जायेगा।

[signature] 21/2/2018
उप–अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृतेः निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
पचंकूला।

E:\RAM KISHAN (5)\ALL HINDI LETTERS 4.doc